दां.प्र.क्र. 752/22 शा. वि. सत्यनारायण

Witness No.........02.........for.........अभियोजन साक्ष्य.........Deposition taken

the.........11-03-2024.........day of..................Witness's apparentage.........45.........

States of affirmation.........शपथपूर्वक कथन.........my name is.........शकून चौहान.........

Son of.........रूपनारायण चौहान.........occupation.........कूछ नही.........

address.........साकिन नंदौरकला, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)

प्रारंभ समय 01:00 बजे।

01- मै आरोपी को जानती हूॅ, वह मेरा देवर है । मै पीडिता जनाबाई को सास होने के कारण जानती हूॅ।

02- घटना लगभग साल भर पूर्व रात्रि के लगभग 09 बजे की है । आरोपी के द्वारा प्रार्थीया के साथ गंदा गंदा गाली गलौज एवं मा बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर लडाई झगडा किया गया था, जिसे सुनकर मुझे बुरा लगा था । आरोपी के द्वारा प्रार्थीया को जान से मारने की धमकी दिया गया था । आरोपी के द्वारा हमारे घर मे घुसकर मेरे पति रूपनारायण के साथ मारपीट किया गया था । मेरे द्वारा घटना के दौरान बीच बचाव किया गया था तथा 112 के पुलिस वालो को बुलाया गया था ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त सहित श्री जे पी यादव अधि. उप.//

03- यह कहना सही है कि घटना के पूर्व मेरी सास आरोपी के साथ रहती थी । स्वतः कहा 05 साल पूर्व रहती थी । यह कहना सही है कि आरोपी 2011 से कोटवारी का कार्य कर रहा है । यह कहना सही है कि कोटवारी जमीन मे रूपनारायण एवं मेरी सास जना बाई का नाम भी दर्ज है । यह कहना गलत है कि मेरी सास घटना के बाद से मेरे साथ रहना शुरू की थी । स्वतः कहा कि घटना के पूर्व से ही मेरे साथ रहती थी । यह कहना सही है कि मैने अपने पुलिस बयान मे 112 को फोन करके बुलाने वाली बात नही बताया था । स्वतः कहा कि मैने पुलिस को बताया था, किन्तु वे यदि उक्त बाते नही लिखे होंगे तो उसका कारण मै नही बता सकती ।

04- पुलिस को हम लोगो ने हमारे घर मे बयान दिया था और उसके बाद थाना मे जाकर भी बयान दिये थे । घटना के दुसरे दिन मैने पुलिस को बयान दिया था । यह कहना गलत है कि घटना स्थल पर

घटना के समय गांव के अन्य व्यक्ति उपस्थित नही थे । यह कहना गलत है कि मेरी सास को आरोपी द्वारा किसी प्रकार का गाली गलौज व मारपीट नही किया गया था । यह कहना गलत है कि प्रार्थीया के द्वारा हमारे कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । यह कहना गलत है कि आरोपी के द्वारा कोटवारी जमीन से हमारा नाम कटवाने के कारण हम लोग आरोपी के विरूद्ध झूठा रिपोर्ट दर्ज कराये है ।

(प्रति परीक्षण समाप्ति समय 01:15 बजे)

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)